

राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांकः ११-११/नर्सिंग/नर्स-२/जे-९१९/२०१९/

दिनांकः-

आदेश

श्री जयप्रकाश रौटी, नर्स ड्ट्रीटीय, सर्वाई गान्सिंह चिकित्सा गहाविद्यालय, जयपुर को इन्हूं से पोर्ट बेसिक बी.एस.रा. नर्सिंग पत्राचार से करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती हैः-

१. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
२. राज्य सरकार/दिवाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
३. सकल कार्य हेतु इन हारा निर्धारित Prospectus के अनुसार Practical & Viva Voice Examination हेतु नियारित अवधि का नियन्त्रिता अवधारणा अवकाश निदेशालय रतर रो ही रवीकृत कराकर प्रथान करेंगे।
४. कोर्स उत्तीर्ण होने के पश्चात विर्सी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेंगे।
५. परीक्षा दिन का ही अवकाश रवीकृत किया जायेगा।
६. कोई परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
७. नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
८. राज्य हित में उक्त रवीकृति को कभी भी निररत किया जा सकेगा।

—६—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं रवास्थ्य सेवाएं

राज० जयपुर
दिनांकः ०७/०२/१९

क्रमांकः ११-११/नर्सिंग/नर्स-२/जे-९१९/२०१९/ १८२

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

१- प्रधानावार्य, सर्वाई गान्सिंह चिकित्सा गहाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न विकित्सालय, जयपुर।

२- सबंधित कार्गिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

३- प्रभारी सर्वर रूप को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करना हेतु।

४- आदेश परावर्ती।

—६—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं रवास्थ्य सेवाएं

राज० जयपुर